

सहकारिता के साथ समृद्धि



ACTUAL SITE PHOTO



Citizen
EcoHeights



ACTUAL SITE PHOTO



New
SUN CITY

neo
HEIGHTS



PDA
APPROVED
PRAYAGRAJ

सिटीजन हाउसिंग

सहयोग भवन, 1, एम.जी. मार्ज, विशेष जानसन स्कूल के बगल में, हाईकोर्ट के समीप,
सिविल लाइन्स, इलाहाबाद, फोन : 0532-2560423



विवरण के लिए सम्पर्क करें :

Website : www.citizenhomes.org E-mail : advisor@citizenhomes.in

HOTLINE : 7379127127



सिटीजन सम्पत्ति सलाहकार बनने का सुनहरा अवसर



Call Citizen Hotline No. **7379127127**

**Full time agent working options with
Attractive Incentive structure also available**

सिटीजन सम्पत्ति सलाहकार

बनने का सुनहरा अवसर

- मनचाही आमदनी एवं सम्मान पाने का अवसर
- अपनी सुविधा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता
- प्रोत्साहन राशि रु. 5,000 से रु. 50,000
- घर बैठे काम करने की सुविधा
- योग्यता 12वीं पास
- सहयोग पायें हमारी प्रोफेशनल सेल्स टीम से



OPTION-1 (विकल्प-1)

सिटीजन सम्पत्ति सलाहकार (reference only) हेतु

As simple as A, B, C, D



आपने परिजन, भित्रिगण, पड़ोसी, सहकर्मी इत्यादि में ऐसे लोग ढूँढ़े जो अपनी में निवेश के इच्छुक हों।



निवेश के इच्छुक व्यक्ति के बारे में हमारे सेल्स एजेंट्सिव को बतायें (reference).




हमारे सेल्स एजेंट्सिव पूरी लगत और निष्ठा से आपकी दी गई जानकारी पर कार्य करेंगे।



बुकिंग होने पर सिटीजन सम्पत्ति सलाहकार बाराहिं न्यूनतम रु. 5,000 मात्र (बुकिंग के एक माह के शीतल)

OPTION-2 (विकल्प-2)

सिटीजन सम्पत्ति सलाहकार (full time agent) हेतु



Agent Incentive

Members



Full time agent working options with attractive incentive structure

Give Wings to your Ambitions

Make a

Rewarding Career

with the Affordable Housing Specialist of
Prayagraj

CITIZEN PROPERTY ADVISOR



Please contact us for incentive structures & more details.



सिटीजन सम्पत्ति सलाहकार

- परिभाषा :** सम्पत्ति सलाहकार वो व्यक्ति होता है जो सम्पत्ति से सम्बद्ध आवेदक/सदस्य को सम्पत्ति में सही एवं उचित निवेश की जानकारी दे। जिससे आवेदक को अधिक से अधिक लाभ कमाने का मौका मिल सके।
- सम्पत्ति सलाहकार के प्रकार :**
 - क) संदर्भ सलाहकार :** संदर्भ सलाहकार (Advisor) वो व्यक्ति होता है जिसकी पहले ग्राहक से मुलाकात होती है और वो उस ग्राहक को अपने से सम्बन्धित सिटीजन हाउसिंग विक्रय प्रतिनिधि से मुलाकात करवाता है, उसके बाद सिटीजन विक्रय प्रतिनिधि उस ग्राहक को सम्पत्ति में निवेश का सही एवं उचित सुझाव देता है।
 - ख) स्वयं सलाहकार :** स्वयं सलाहकार (Agent) वो व्यक्ति होता है जो ग्राहक से खुद मिलकर उसे सम्पत्ति में निवेश का सही एवं उचित सलाह देता है और निवेश करवाता है।
- सम्पत्ति सलाहकार बनने के लाभ :**
 - क) घर बैठे मनवाहे लाभ कमाने का अवसर।** ख) अपनी सुविधानुसार कार्य करने की छुट।
 - ग) लाभ कमाने के लिये किसी भी तरीके से पूँजी निवेश की जरूरत नहीं।** घ) अपने कार्यक्षेत्र के अलावा अलग से लाभ कमाने का अवसर।
 - ड) रीयल स्टेट सेक्टर में उच्चवर्ल भविष्य बनाने का अवसर।**
- सम्पत्ति सलाहकार बनने का तरीका :** कार्यालय या किसी सिटीजन विक्रय प्रतिनिधि से मिलकर फार्म भरे जिसके साथ एक पहचान पत्र एवं एक फोटो फार्म के साथ संलग्न कर कार्यालय या सिटीजन विक्रय प्रतिनिधि के पास जमा करा दें। फार्म के साथ कम से कम एक सन्दर्भ अनिवार्य है। पंजीकरण के उपरान्त आपको एक Welcome SMS कम्पनी द्वारा भेजा जायेगा।
- सम्पत्ति सलाहकार की योग्यता :** सम्पत्ति सलाहकार बनने के लिए आवेदक की न्यूनतम योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- सम्पत्ति सलाहकार के कार्य :**
 - क) अपने परिजन, मित्राण, पड़ोसी, सहकर्मी इत्यादि में से ऐसे लोग हूँडे जो सम्पत्ति में निवेश करने के लिए इच्छुक हों।**
 - ख) जिस व्यक्ति को निवेश के लिये हूँडे उनको वो खुद सम्पत्ति में निवेश का सही एवं उचित सुझाव दें या अपने सिटीजन हाउसिंग विक्रय प्रतिनिधि से मिलकर उन्हें निवेश का सही एवं उचित सुझाव दिलवायें, जिससे आवेदक/सदस्य को अधिक से अधिक लाभ कमाने का अवसर मिल सके।**
 - ग) अपने रिफरेन्स का विवरण कम्पनी द्वारा दिए गए रिफरेन्स फार्म अथवा ऑन लाइन www.citizenhomes.org पर जमा करें।**
 - घ) रिफरेन्स फार्म जमा होने के बाद एस.एम.एस. द्वारा सम्पत्ति सलाहकार से जुड़े समिति के विक्रय प्रतिनिधि को सूचित किया जाएगा।**
 - ड) अगले एक माह तक कम्पनी के विक्रय प्रतिनिधि द्वारा दिए गए रिफरेन्स (संदर्भ) पर पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य किया जायेगा और विक्रय करने की पूरी कोशिश की जायेगी।**
 - च) सम्पत्ति सलाहकार भी अपनी ओर से विक्रय प्रतिनिधि एवं दिए गए रिफरेन्स (संदर्भ) से सम्पर्क बनाते हुए विक्रय प्रक्रिया में सहयोग कर सकते हैं। एवं पूरे प्रकरण में प्राप्ति पर नजर रख सकते हैं।**
 - छ) रिफरेन्स द्वारा बुकिंग धनराशि (जो कि प्रोजेक्ट पर निर्भर है) दिए जाने के एक माह के बाद सफल सम्पत्ति सलाहकार को प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी।**

Advisor ID :

व्यक्तिगत विवरण पत्र

श्री/श्रीमती/सुश्री.....	जन्मतिथि.....				
पुत्र/पत्नी/पुत्री.....	मोबाइल.....				
स्थाई पता.....	प्रदेश.....				
शहर.....	पिन कोड				
ई-मेल :	PAN.....				
<input type="checkbox"/> व्यवसाय	<input type="checkbox"/> सरकारी नौकरी	<input type="checkbox"/> निजी नौकरी	<input type="checkbox"/> शिक्षक	<input type="checkbox"/> सेवानिवृत्त	<input type="checkbox"/> अन्य
आई.डी./एड्रेस प्रूफ (संलग्न)					
Declaration : मैं समय-समय पर समिति की योजना एवं नीतियों इत्यादि के बारे में सूचनाएं, एसएमएस व व्यक्तिगत मीटिंग के लिए अपनी अनुमति देता हूँ।					
हस्ताक्षर आवेदक					

HOTLINE : 07379127127 Website : www.citizenhomes.org E-mail : advisor@citizenhomes.in



सिटीजन सम्पत्ति सलाहकार

एडवाइजर का नाम :

संदर्भ विवरण

एडवाइजर आई.डी. : फोन :

संदर्भ का नाम :

पता :

स्कीम : बजट.....

.प्रॉपर्टी का विवरण.....

.. मुख्य नियम एवं शर्तें ::

- रेफरेन्स एडवाइजर (सलाहकार) के माध्यम से पंजीकरण होने पर एक माह के बाद प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी। ● पंजीकरण का तात्पर्य योजना के अन्तर्गत न्यूनतम विक्रय मूल्य के अनुपात जमा अंश द्वारा एवं मेम्बरशिप रजिस्ट्रेशन धनराशि आधार विक्रय मूल्य का 10% या 25% से है (योजनानुसार)। ● पंजीकरण से 6 माह के भीतर जमा धनराशि किहाँ भी परिस्थितियों में वापस करनी पड़ी तो एडवाइजर को दी गयी पूरी प्रोत्साहन धनराशि वापस ले तो जायेगी। वर्ती अगर Cancel/Refund आवेदन के छे : से बारह माह में होती है तो प्रोत्साहन धनराशि का 50% रिकवर कर लिया जायेगा। ● सभी धनराशि के भुगतान के लिए कम्पनी की प्राथमिकता चेक/ड्राफ्ट या सीधे बैंक में जमा करने की होगी। ● सभी धनराशि के भुगतान पर टी.डी.एस. अथवा सक्षम सरकारी टैक्स एवं व्यय लागू हो सकते हैं। ● यह नियम संक्षेप में हैं अधिक जानकारी एवं फुल टाइम एजेन्ट कार्य के बारे में जानने के लिए मुख्य कार्यालय में संपर्क करें। ● सभी सम्पत्ति सलाहकारों को समय-समय पर पत्राचार, SMS एवं व्यक्तिगत मीटिंग के माध्यम से समिति की योजना एवं नीतियों के बारे में सूचित किया जायेगा।

एडवाइजर का नाम :

संदर्भ विवरण

एडवाइजर आई.डी. : फोन :

संदर्भ का नाम :

पता :

स्कीम : बजट.....

.प्रॉपर्टी का विवरण.....

.. मुख्य नियम एवं शर्तें ::

- रेफरेन्स एडवाइजर (सलाहकार) के माध्यम से पंजीकरण होने पर एक माह के बाद प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी। ● पंजीकरण का तात्पर्य योजना के अन्तर्गत न्यूनतम विक्रय मूल्य के अनुपात जमा अंश द्वारा एवं मेम्बरशिप रजिस्ट्रेशन धनराशि आधार विक्रय मूल्य का 10% या 25% से है (योजनानुसार)। ● पंजीकरण से 6 माह के भीतर जमा धनराशि किहाँ भी परिस्थितियों में वापस करनी पड़ी तो एडवाइजर को दी गयी पूरी प्रोत्साहन धनराशि वापस ले तो जायेगी। वर्ती अगर Cancel/Refund आवेदन के छे : से बारह माह में होती है तो प्रोत्साहन धनराशि का 50% रिकवर कर लिया जायेगा। ● सभी धनराशि के भुगतान के लिए कम्पनी की प्राथमिकता चेक/ड्राफ्ट या सीधे बैंक में जमा करने की होगी। ● सभी धनराशि के भुगतान पर टी.डी.एस. अथवा सक्षम सरकारी टैक्स एवं व्यय लागू हो सकते हैं। ● यह नियम संक्षेप में हैं अधिक जानकारी एवं फुल टाइम एजेन्ट कार्य के बारे में जानने के लिए मुख्य कार्यालय में संपर्क करें। ● सभी सम्पत्ति सलाहकारों को समय-समय पर पत्राचार, SMS एवं व्यक्तिगत मीटिंग के माध्यम से समिति की योजना एवं नीतियों के बारे में सूचित किया जायेगा।

एडवाइजर का नाम :

संदर्भ विवरण

एडवाइजर आई.डी. : फोन :

संदर्भ का नाम :

पता :

स्कीम : बजट.....

.प्रॉपर्टी का विवरण.....

.. मुख्य नियम एवं शर्तें ::

- रेफरेन्स एडवाइजर (सलाहकार) के माध्यम से पंजीकरण होने पर एक माह के बाद प्रोत्साहन धनराशि दी जायेगी। ● पंजीकरण का तात्पर्य योजना के अन्तर्गत न्यूनतम विक्रय मूल्य के अनुपात जमा अंश द्वारा एवं मेम्बरशिप रजिस्ट्रेशन धनराशि आधार विक्रय मूल्य का 10% या 25% से है (योजनानुसार)। ● पंजीकरण से 6 माह के भीतर जमा धनराशि किहाँ भी परिस्थितियों में वापस करनी पड़ी तो एडवाइजर को दी गयी पूरी प्रोत्साहन धनराशि वापस ले तो जायेगी। वर्ती अगर Cancel/Refund आवेदन के छे : से बारह माह में होती है तो प्रोत्साहन धनराशि का 50% रिकवर कर लिया जायेगा। ● सभी धनराशि के भुगतान के लिए कम्पनी की प्राथमिकता चेक/ड्राफ्ट या सीधे बैंक में जमा करने की होगी। ● सभी धनराशि के भुगतान पर टी.डी.एस. अथवा सक्षम सरकारी टैक्स एवं व्यय लागू हो सकते हैं। ● यह नियम संक्षेप में हैं अधिक जानकारी एवं फुल टाइम एजेन्ट कार्य के बारे में जानने के लिए मुख्य कार्यालय में संपर्क करें। ● सभी सम्पत्ति सलाहकारों को समय-समय पर पत्राचार, SMS एवं व्यक्तिगत मीटिंग के माध्यम से समिति की योजना एवं नीतियों के बारे में सूचित किया जायेगा।

HOTLINE : 07379127127 Website : www.citizenhomes.org E-mail : advisor@citizenhomes.in